

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर (छोगो)

—:: आदेश ::—

क्रमांक/ 82 /एस.डब्ल्यू./2021

अम्बिकापुर, दिनांक 17/04/2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/42/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक—11.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/3431/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक—16.04.2021 अनुसार सरगुजा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक—13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक—23.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेनमेंट घोषित करते हुए जिले के अंतर्गत आवागमन एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सरगुजा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि एवं इस महामारी से मौतों की संख्या को देखते हुए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। फलस्वरूप सम्पूर्ण सरगुजा जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मैं संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ:-

1. सरगुजा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक—26.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी।
3. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, किलनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। उचित मूल्य दुकानदार टोकन व्यवस्था के साथ सामग्री वितरण करेंगे। दुकानदार किसी भी स्थिति में भीड़—भाड़ नहीं होने देंगे, एवं मास्क, पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा नियमित सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। सुविधानुसार जिले के खाद्य अधिकारी इस हेतु पृथक से आदेश कर सकेंगे, एवं स्वयं तथा अपने अधिनस्त स्टाप द्वारा सतत निगरानी करेंगे।
5. सभी प्रकार मंडियां, थोक/फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली—मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

क्रमांक:.....



6. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन ए.टी.एम. कैश वेन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रासरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे, स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध—वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7. दुग्ध पार्लर व दुग्ध—वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध के साथ अन्य व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खाले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
8. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
9. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेने की अनुमति होगी तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
10. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
11. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी।
12. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।
13. उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय सार्वजनिक/अर्द्ध—शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख—रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्लाइंट पर लोडिंग—अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम., कैशवेन पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजनों से खोलने की अनुमति होगी। दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन—देन हेतु बैंक शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। बैंक के शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से इसके लिये विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

क्रमशः.....



14. सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास—गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
15. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, कांटेक्ट ट्रेसिंग, एकिट्व सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगा। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
16. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने—जाने वाले यात्रियों को कोई—पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने—जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई—पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सरगुजा जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई—पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख—रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड—19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई—पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
17. कोविड—19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड—19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय—पत्र दिखाने पर कोविड—19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने—जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
18. आपात की स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजनों हेतु आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
19. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई—कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
20. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।



क्रमशः.....

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएँ जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं, तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

21. भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

22. उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामीली संभव नहीं हो पाने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश उपरोक्तानुसार दिनांक—23.04.2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

(संजीव कुमार झा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

सरगुजा अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 17/04/2021

पृ०क्रमांक / ४३ / एस०डब्ल्य०/2021

प्रतिलिपि:—

1. अपर मुख्य सचिव, छोटगो प्रशासन, गृह (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छोटगो प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर।
5. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, अम्बिकापुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर/सीतापुर/उदयपुर, जिला सरगुजा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर।
9. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सर्व जिला सरगुजा
10. आयुक्त, नगर पालिका निगम, अम्बिकापुर जिला सरगुजा
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सीतापुर/लखनपुर
12. खाद्य अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा
13. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, अम्बिकापुर को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

सरगुजा अम्बिकापुर